



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012026-269181
CG-DL-E-08012026-269181

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/पौष 16, 1947

No. 09]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/PAUSHA 16, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 09(अ).—केन्द्रीय सरकार, बायलर अधिनियम 2025 (2025 का 12) की धारा 39 की उप-धारा (2) के खंड (ड) और (च) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बायलर परिचर नियम, 2025 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर परिचर (संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- बायलर परिचर नियम, 2025 के प्ररूप ग में, "(जिनकी कुल तापन सतह का योग 150 वर्ग मीटर से अनधिक हो) की देखरेख कर सकते हैं, परंतु उन्हें बायलर के मुख्य निरीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार आवश्यक समझे जाने वाले फायरमैन की संख्या प्रदान की जाए।" के स्थान पर

निम्नलिखित कोष्ठकों, शब्दों और अंकों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(कुल तापन सतह का योग 200 वर्ग मीटर से अनधिक हो), परंतु ऐसे बायलर एक ही परिसर में तीस मीटर के अर्धव्यास (रेडियस) में स्थित हों और एक ही स्वामी के हों और यह कि उन्हें बायलर के मुख्य निरीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार आवश्यक समझे जाने वाले फायरमैन की संख्या प्रदान की जाए।"

[फा.सं. पी-30015/4/2025-बायलर]

जय प्रकाश शिवहरे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 721(अ), तारीख 29 सितंबर, 2025 के द्वारा प्रकाशित की गई थी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2026

G.S.R. 09(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (e) and (f) of sub-section (2) of section 39 of the Boilers Act, 2025 (12 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Boiler Attendants' Rules, 2025, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Boiler Attendants' (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Boiler Attendants' Rules, 2025, in Form C, for the brackets, words and figures "(not exceeding 150 square meters in aggregate of total heating surface), provided he is assisted the number of fireman", the following brackets, words and figures shall be substituted, namely: -

"(not exceeding 200 square meters in aggregate of total heating surface), provided that such boilers shall be situated within a radius of thirty meters in the same premises and belong to one owner and further provided that he is assisted by the number of fireman"

[F. No. P-30015/4/2025-Boiler]

JAI PRAKASH SHIVAHARE, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 721 (E), dated the 29th September, 2025.